

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या
78/2023

दायर दिनांक
23.02.2023

निर्णय दिनांक
30.01.2024

उनवान

1. रणवीर पुत्र श्री बंशी लाल खटीक आयु वयस्क निवासी मकान न0 11 एफ 24 सिद्धि विनायक हॉस्पिटल के पीछे, तिलकनगर, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा (राज0) -प्रार्थी

बनाम

1. जगदीश पुत्र बालू जाट आयु वयस्क निवासी दांथल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा।
2. देवी पुत्र श्री बालू जाट आयु वयस्क निवासी दांथल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. गटू पत्नी श्री बालू जाट आयु वयस्क निवासी दांथल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. श्रीमती मांगी पत्नी श्री लक्ष्मण जाट आयु वयस्क निवासी दांथल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. श्रीमती रुकमा पत्नी श्री खाना जाट आयु वयस्क निवासी दांथल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. खाना पुत्र श्री लक्ष्मण जाट आयु वयस्क निवासी दांथल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. श्रीमती सायर पत्नी श्री रामेश्वर जाट आयु वयस्क निवासी दांथल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. रामेश्वर पुत्र श्री लक्ष्मण जाट आयु वयस्क निवासी दांथल तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा (राज0)

-विपक्षीगण

उपस्थित:-अधिवक्ता प्रार्थी मोहन लाल जाट

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही

-: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू-राजस्व अधिनियम :-

-: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा दांथल प0ह0 दांथल भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दांथल तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत् 2069-2073 के खाता संख्या 545 की अभिलिखित आराजियात 2306/2180, 2326/2180 कुल किता 02 कुल रकबा 1.5933 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पड़ौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

Handwritten Signature


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08 के समन बाद तामिल प्राप्त होने भी नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 08 के कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया व पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि राजा दांथल प0ह0 दांथल भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दांथल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत् 2069-2073 के खाता संख्या 545 की अभिलिखित आराजियात 2306/2180, 326/2180 कुल किता 02 कुल रकबा 1.5933 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 000-00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपस्थित अधिकारी
भीलवाडा